भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 957

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुस्तकालय और खेल सुविधाएं

†957. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(ख) एसएसए के अंतर्गत स्कूलों में पुस्तकालय खोलने तथा खेल संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा अभियान के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आबंटित और जारी केन्द्रीय अंश का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रमुख उपायों में से एक उपाय में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर पुस्तकालय और पुस्तकों का प्रावधान शामिल है। इसमें सरकारी स्कूलों में पहली से बारहवीं कक्षा तक पुस्तकालयों के लिए अनुदान प्रदान करना शामिल है। इस घटक का उद्देश्य स्कूल पुस्तकालयों को सीखने के स्थानों के रूप में विकसित करना है जो जीवन भर पाठकों और ज्ञान के चाहने वालों का पोषण करते हैं और प्रासंगिक, आयु-उपयुक्त, विविध और आकर्षक पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री के माध्यम से पढ़ने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। समग्र शिक्षा के 'मौजूदा स्कूलों के सुदृढ़ीकरण' घटक के तहत उन स्कूलों में पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जहां पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। पुस्तकालय कक्षों की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रस्ताव में विचारार्थ रखा जा सकता है। प्रस्ताव में सिविल कार्य, फर्नीचर, अलमारी, रैक, फिक्सिंग और फिटिंग की लागत शामिल हो सकती है।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय की श्रेणी के आधार पर पुस्तकालय अनुदान के लिए राशि 5000/- रु. से 20000/- रु. तक होती है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्कूल की श्रेणी	पुस्तकालय अनुदान
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V)	5,000/-₹
उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा VI से VII)	13,000/-₹
माध्यमिक विद्यालय (कक्षा IX और X)	15,000/-₹
केवल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	20,000/-₹

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के तहत कुल 2100.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1347.38 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 2045 पुस्तकालय कक्षों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 545 पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, पुस्तकालय अनुदान के तहत 692.92 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया गया है।

एकीकृत योजना समग्र शिक्षा में स्कूल-पूर्व से उच्च माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में स्कूली शिक्षा की परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

बच्चों के समग्र विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए, समग्र शिक्षा के तहत, खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शुरू किया गया है। राजकीय विद्यालयों में खेल उपकरणों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान का प्रावधान किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत कुल 2361.34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1323.75 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 729.25 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

****

अनुलग्नक

"समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुस्तकालय और खेल सुविधाएं" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जशुभाई भीलूभाई राठवा द्वारा पूछे गए दिनांक 10.02.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 957 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित और जारी केन्द्रीय अंश का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्रं. सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	आवंटित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय शेयर	आवंटित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56.37	31.52	74.02	56.51	86.90	55.28
2	आंध्र प्रदेश	1348.54	683.01	1712.59	1503.59	1775.86	1289.41
3	अरुणाचल प्रदेश	442.16	279.96	533.70	252.29	576.59	475.04
4	असम	1977.03	1561.56	2514.60	2080.86	2578.10	1810.48
5	बिहार	3827.55	3406.08	5018.87	3554.59	4991.23	4241.73
6	चंडीगढ़	100.24	108.04	124.23	109.79	132.14	116.36
7	छत्तीसगढ़	887.90	332.37	1138.33	828.00	1157.85	776.59
8	डीएनएच और डी&डी	67.41	20.92	87.94	64.67	95.37	41.30
9	दिल्ली	315.21	145.88	377.27	221.94	368.92	146.09
10	गोवा	18.61	11.02	29.86	29.86	29.63	18.66
11	गुजरात	1009.74	893.76	1371.21	1321.25	1316.73	1132.53
12	हरियाणा	825.39	517.09	963.50	670.21	1010.74	578.80
13	हिमाचल प्रदेश	581.66	319.10	738.08	551.60	672.19	485.97
14	जम्मू और कश्मीर	1320.22	873.99	1650.60	364.97	1721.60	865.44
15	झारखंड	900.18	858.97	1167.68	1154.52	1215.45	1104.93
16	कर्नाटक	707.61	474.52	1004.94	861.52	922.75	828.09
17	केरल	252.22	225.13	348.47	178.16	328.83	141.66
18	लद्दाख	100.00	57.18	123.49	14.89	212.09	52.23
19	लक्षद्वीप	5.73	2.16	7.87	4.33	5.75	1.00
20	मध्य प्रदेश	2946.31	2292.80	3727.88	1939.29	3842.07	2981.51
21	महाराष्ट्र	1013.70	693.03	1592.90	900.00	1317.43	1001.19
22	मणिपुर	370.43	182.50	494.19	404.76	483.05	257.22
23	मेघालय	305.84	271.71	375.15	375.15	398.83	394.18
24	मिजोरम	225.60	179.68	323.08	142.68	344.29	274.14
25	नागालैंड	218.09	137.34	281.05	281.04	314.28	231.25
26	ओडिशा	1453.34	1238.07	1841.08	1836.67	1904.13	1236.61
27	पुडुचेरी	15.14	13.98	19.87	15.28	19.74	12.47
28	पंजाब	543.53	501.27	719.06	605.05	708.78	331.12
29	राजस्थान	2730.20	2405.82	3452.20	2138.61	3560.25	3202.89
30	सिक्किम	122.49	100.12	151.76	107.19	159.73	132.61
31	तमिलनाडु	1649.96	1598.82	2117.60	2107.23	2090.77	1876.16
32	तेलंगाना	880.61	553.28	1143.86	1142.51	1148.35	920.13
33	त्रिपुरा	318.20	226.93	387.41	286.73	414.94	341.33
34	उत्तर प्रदेश	5123.11	2044.97	6261.80	3819.75	6578.75	4276.45
35	उत्तराखंड	672.63	320.84	844.44	704.39	686.30	440.57
36	पश्चिम बंगाल	1338.77	1309.74	1773.38	1522.04	1745.80	311.29
	कुल	**34671.73**	**24873.18**	**44493.94**	**32151.94**	**44916.21**	**32382.70**

*****